न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –64 / 2023–निगरानी

विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. गेपाली /मीठू पुरी गोस्वामी निवासी मानगंज, ग्राम पंचायत मोटरों का खेडा तहसील माााण्डलगढ
2. सरपंच ग्राम पंचायत मोटरों का खेडा तहसील माााण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मोटरों का खेडा तहसील माण्डलगढ

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम बाबत निरस्त करानें पट्टा विलेख 4563 दिनांक 30.10.2017 जारी द्वारा ग्राम पंचायत मोटरों का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

उपस्थित–

1. विभागीय पेरोकार– निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 01.08.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 2 व 3 ग्राम पंचायत मोटरों का खेड़ा के द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पास जो नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा क्रमांक 4563 दिनांक 30.10.2017 को जारी किया गया वह नियम विरुद्व होकर निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टाधारी को नियम विरुद्ध कार्यवाही की जाकर चारागाह भूमि आराजी नम्बर 150 में पट्टा सख्या 4563 दिनांक 30.10.2017 को जारी किया गया जो नियम विरूद्व होकर निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा चारागाह भूमि आराजी नम्बर 150 निगराकार संख्या 01 के नाम पुश्तैनी मकान के मूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु पत्रावली संख्या 30 दिनांक 13.07.2017 कायम की गयी जिसमें पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145, 146, 147, 148, 149 व 157 की अवहेलना की जाकर कार्यवाही की गयी है। पत्रावली में उपलब्ध

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दस्तावेजो के अनुसार गोपाली गोस्वामी द्वारा चाही गयी भूमि के प्रार्थना पत्र पर दिनांक व आदेश अंकित नहीं है। शपथ–पत्र, सहमति पत्र पर व अन्य दस्तावेज नहीं लिये गये हैं। प्रार्थी द्वारा चाही गयी भूमि का नजरी नक्शा मौका निरीक्षण, आपत्ति सूचना पत्र पर दिनांक अंकित नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना की जाकर नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत मोटरों का खेड़ा द्वारा नियम विरूद्ध कार्यवाही की जाकर गैर निगराकर संख्या संख्या 01 के पक्ष में जो पट्टा संख्या 4563 दिनांक 30.10.2017 को चारागाह भूमि आराजी नम्बर 150 में जारी किया गया है उसको निरस्त कराना फरमायें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर निगराकार संख्या 2 व 3 ग्राम पंचायत मोटरों का खेड़ा के द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पास जो नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा क्रमांक 4563 दिनांक 30.10.2017 को जारी किया गया वह नियम विरुद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टाधारी को नियम विरुद्ध कार्यवाही की जाकर चारागाह भूमि आराजी नम्बर 150, 158 में पट्टा सख्या 4563 दिनांक 30.10.2017 को जारी किया गया जो नियम विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा चारागाह भूमि आराजी नम्बर 150 निगराकार संख्या 01 के नाम पुश्तैनी मकान के भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु पत्रावली संख्या 30 दिनांक 13.07.2017 कायम की गयी जिसमें पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145, 146, 147, 148, 149 व 157 की अवहेलना की जाकर कार्यवाही की गयी है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत मोटरों का खेड़ा द्वारा नियम विरूद्ध कार्यवाही की जाकर गैर निगराकर संख्या संख्या 01 के पक्ष में जो पट्टा संख्या 4563 दिनांक 30.10.2017 को चारागाह भूमि आराजी नम्बर 150 में जारी किया गया है उसको निरस्त कराना फरमायें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि मिसल पत्रावली परीक्षण से ज्ञात

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हुआ कि कार्यालय तहसीलदार माण्डलगढ के पत्रांक/राजस्व/2022/1736 दिनांक 09.12.2022 अनुसार ग्राम पंचायत मानगंज पटवार हल्का मोटरों का खेडा की आराजी नम्बर 150 किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में अन्तर्गत धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार माण्डलगढ में प्रकरण विचाराधीन हैं। विचाराधीन प्रकरणों में विपक्षी संख्या 01 द्वारा उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत मोटरों का खेडा द्वारा जारी आवासीय भूखण्ड के पटटों की छायाप्रति प्रस्तुत की हैं।

इस प्रकार तहसीलदार माण्डलगढ की रिपोर्ट से यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि उक्त प्रश्नगत पटटा ग्राम पंचायत द्वारा चरागाह भूमि पर विधि विरूद्व पारित किया जाना प्रकट होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरूद्व तरीके से चरागाह भूमि पर जो पट्टा संख्या 4563 दिनांक 30.10.2017 को जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत माण्डलगढ द्वारा जारी पट्टा संख्या 4563 दिनांक 30.10.2017 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा